

पत्र-1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठारीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी मेहनुरीया
श्री. भू.अ.नि. मेहनुरीया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमरा / नायब
तहसीलदार रेलमरा की अनुसरा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 135 के अनुसरण में ग्राम मेहनुरीया तहसील रेलमरा व
जिला राजसमन्द की जमावन्दी संवत् 2037 में खाता संख्या 182 में
जर्नान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	मेहनुरीया	182	SBBJ राज्या राजपुरा-दरीवा	SBI राज्या राजपुरा-दरीवा

रेलमरा
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी रेलमरा सहायक कलक्टर,

क्रमांक - 179
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 3 OCT 2025

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अनल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट गिजवावे।
2. प्रार्थी श्री को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

रेलमरा
पीठारीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी रेलमरा सहायक कलक्टर,